न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्रं.   /2017 निगरानी

हरवंश कुमार पुत्र रमाशंकर शुक्ला
निवासी ग्राम खडेहा तहसील गौरिहार
जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

1. हीरेन्द्र कुमार पुत्र रामआसरे शुक्ला
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामआसरे शुक्ला
3. मिसिरिया पुत्री रमाशंकर शुक्ला
4. भूरी पुत्री रमाशंकर शुक्ला
5. रानी पुत्री रमाशंकर शुक्ला
6. परवतिया उर्फ चंदा पुत्री रमाशंकर शुक्ला
7. रामआसरे पुत्र ग्याप्रसाद शुक्ला
   समस्त निवासीगण ग्राम खड़ेहा तहसील गौरिहार जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर जिला छतरपुर म.प्र. द्वारा प्रकरण कमांक 210 अपील/ 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अंनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, वाद भूमि के अभिलिख्रित भूमिस्वामी रामआसरे रामशरण एवं रमाशंकर शुक्ला तीन भाई के मध्य 1/3, 1/3, के तीन हिस्सेदार थे।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/3472

हरवंश विरूद्ध हीरेन्द्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 210/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 01-09-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 15-05-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 18/03/19 सदस्य	